International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 02(III), April - June, 2023, pp. 143-145

भारतीय लोकतन्त्र एवं पंथनिरपेक्षता

डॉ. प्रकाश चन्द मीना*

प्रस्तावना

भारतीय संविधान द्वारा भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया है। भारत विविध धर्मों, पंथों एवं जातियों का देश है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण दिया गया है। यहाँ पर किसी नागरिक के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकाता है। सभी नागरिकों को अवसर की समानता का दर्जा दिया गया है। 42 वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की अवधारणा संविधान के मूल पाठ का एक महत्वपूर्ण भाग थी, पर इसका स्वरूप अप्रत्यक्षता सा था।

भारतीय संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए वह धर्मतंत्रात्मक राज्य से भिन्न है। राज्य पंथ को व्यक्ति के आन्तरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा पंथ और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है।

भारतीय लोकतन्त्र एवं पंथनिरपेक्षता

आधुनिक भारत के निर्माता पं. जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्र की स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में लोकतांत्रिक मूल्यों एवं मान्यताओं की संविधान तथा संविधानवाद के माध्यम से स्थापना कर लोकतन्त्र को पुष्पित एवं पल्लवित कर उसकी जड़ें मजबूत करने में अहम भूमिका निभायी। इसी का परिणाम है कि स्वाधीनता के 6 दशकों के बाद भारत का लोकतन्त्र पूरी तरह से परिपक्व दिखायी देता है और विश्व के स्थापित लोकतन्त्रों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है और उसे विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र के रूप में पहिचाना जाने लगा है। इसका सबसे अधिक श्रेय पं. नेहरू को ही जाता है, क्योंकि भारत में पूर्व में इस प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थाओं का अस्तित्व नहीं था और यहाँ की तत्कालीन राजनीतिक संस्कृति भी इस प्रकार की नहीं थी लेकिन पं. नेहरू के प्रयास से देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हो सकी थी।

पं. नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों में ''भारत के ऋतुराज'' तथा आचार्य नरेन्द्र देव के लिए ''लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रतीक'' थे। नेहरू जी ने ही भारत को न केवल स्वतन्त्र करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया बल्कि आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया।

* आचार्य–राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़, अलवर, राजस्थान।

नेहरू भारतीय पंथनिरपेक्षतावाद के वास्तविक प्रणेता थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले तथा बाद में वे ही पंथनिपेक्ष विचारधारा के महानतम् प्रतिवादक हुए हैं। नेहरू जी का किसी पारलोकिक सत्ता में विश्वास नहीं था। मानव के मूर्त, ऐन्द्रिक अनुभव से परे वे किसी वैयक्तिक 'ईश्वर' जैसी सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे तथा सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखते थे। उनके लिये पंथनिरपेक्षता का अर्थ था सभी धर्मों के प्रति समान आवश्यकता। उनकी पंथनिरपेक्षता का मूलाधार था मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था, सत्य बोध के प्रति जिज्ञासा एवं अंतःकरण की स्वतन्त्रता।

धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता

धर्म सदैव से ही मानव जीवन को नैतिक मूल्यों तथा उच्च आदर्शों की ओर ले जाने का साधन है। सभी धर्म लगभग एक जैसे उपदेश देते है। जैसे अहिंसा परम धर्म है, अपने पड़ौसी से अपना जैसा व्यवहार करो आदि धर्म ने वस्तुतः आत्मानुशासन का पाठ पढ़ाया है, परन्तु मध्यकाल में कुछ शासकों द्वारा धर्म का दुरूपयोग किया गया। अरबों और यहूदियों, ईसाइयों व मुसलमानों में खूनी युद्ध धर्म के नाम पर किये गये। इंगलैण्ड तथा फ्रांस में राजाओं ने दैवी अधिकारों के नाम पर अपनी सत्ता को निरंकुशता की सीमा तक बढ़ा लिया था।

भारत में औरंगजेब का धार्मिक अत्याचार इतिहास के पन्नों में स्थान पा चुका था। 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण यह था कि भारत में ईसाई धर्म को जनता पर थोपा जा रहा था। देशी पलटनों तथा जनता के विद्रोह के कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी का अन्त हो गया। स्वतन्त्रता संग्राम में भी धर्म का डटकर दुरूपयोग हुआ। इन सभी कारणों से भारत में पंथनिरपेक्षता की धारणा का उदय हुआ है।

यहाँ यह स्पष्ट किया जा सकता है कि भारतीय संदर्भ में शब्द धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, धर्म का अर्थ है– धारण करने योग्य अर्थात जो धारण करने योग्य है वह धर्म है। माता को जो करना चाहिए वह मातृ धर्म है। अतः उससे निरपेक्ष कैसे हुआ जा सकता है। भारतीय संदर्भ में धर्म एक जीवनशैली है, एक जीवन दर्शन है।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में अनेक स्थानों पर ऐसे प्रावधान किए गये हैं जिनके द्वारा पंथनिरपेक्षता की धारणा स्पष्ट होती है तथा बल मिलता है। इन व्यवस्थाओं को निम्नांकित बिन्दुओं के माध्यम से व्याख्यायित किया जा सकता है–

- **संविधान की प्रस्तावना–** भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया गया है कि सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता दी गयी है।
- **भारत का कोई राज्य धर्म नहीं–** भारतीय गणराज्य का कोई ऐसर राज्य धर्म नहीं है जो राज्य द्वारा विशेष रूप से संरक्षित प्राप्त करता है। राज्य किसी धर्म में बाधा नहीं डालता, न किसी पंथ को विशेष प्रोत्साहन देता है।
- **भेदभाव का निषेध–** संविधान का अनुच्छेद 15(क) राज्य को धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर नागरिकों की भिन्नता का निषेध करता है। निर्मित कुओं, तालाब, स्नानघरों, सडकों आदि में सरकारी नौकरी प्राप्त करने में नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जब भारत का जब संविधान लागू किया गया था तब से ही भारत को एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। भारत विविध धर्मों एवं जातियों का देश है। इसमें राज्य को अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की नजरों में सभी धर्मों को समान माना गया है। धर्म के आधार पर राज्य कोई भेद–भाव नहीं करेगा। सभी नागरिकों को समता एवं अवसर की स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। नेहरू जी ने भी पंथनिरपेक्षता को राष्ट्र की एकता का आधार माना था। फूट और सामप्रदायिकता के कारण ही भारतवर्ष को अपमान, पराजय और विघटन का सामना करना पड़ा था। धर्म की आड में ही भारतवर्ष का विभाजन हुआ। इस कलह कारक तत्व को दूर रखने के लिए ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत को पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एम.वी. पायली, भारतीय संविधान एक परिचय
2. संविधान सभा में भाषण, 8 मार्च 1948
3. भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. बी.एल. फड़िया
4. भारतीय शासन एवं राजनीति, डॉ. गीता चतुर्वेदी

❖◆❖